


तारीख 22.60

परिशिष्ट 35

अल्का-जैन और श्री साखाओं को अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आदि रूप में प्रांतीय मंडल पहनाकर सम्मानित किया और सभी अतिथियों का श्री से सम्मान किया और श्री साखा से भनाया जिसमें अतिथीय साखा के सभी सदस्य शामिल थे।



मई को भोपाल के शहीद भवन में बुंदेली गान के बाद आयोजित सम्मान समारोह खंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा बुंदेली साहित्य संस्कृति कला एवं की गई राष्ट्रीय अंतरांगीय उपलब्धियों तथा युवाओं को बुंदेली एवं भारतीय संस्कृति से अधिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के लिए डॉ.हरीसिंह गौर विरविद्यालय एवं के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालीन सेवाओं के लिए उपलब्धियों के वाचन के बाद वीर 2015 तथा बुंदेल श्री की उपाधि से मध्यप्रदेश शासन के पंचायत मंत्री प. गोपाल लैया, तथा संजय द्वारा संयुक्त रूप से भेंट किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार 2015 तथा प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भागव एवं वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा तथा भोपाल का रूप से भेंट किया गया अध्यक्ष महदेव्या दोनों मंत्रियों के उद्बोधन के बाद लोकनृत्य बंधाई प्रस्तुत किया गया इस अवसर पर अनेकों क्षेत्रों से आये विशिष्ट भोपाल के अन्य गणमान्य जन तथा मध्यप्रदेश शासन के अधिकारीगण एवं भोपाल

11 शा.च 2015 26 मई 2015

की उपलब्धियां

कार्य कराये

रसिटी परिवर्तन करवा ताकि %यात से ंग के %यादा लाभ मिल सके। इसके ड पर अलवा सागर संसदीय क्षेत्र की की है विधानसभा बीना, खुई, सुरखी प्त हो और नरयावली विधानसभा के द्वारा 400 से 699 आवादी तक के बनाने संपर्कता विहीन ग्रामों को सड़कों इलवा हेतु मध्यप्रदेश ग्रामीण ऐरशन भी विकास प्राधीकरण के महाप्रबंधक ध्यान सागर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क शासन योजना के अंतर्गत स्वीकृत करये ध में जाने हेतु पत्र भेजकर इन संपर्कता का इसके विहीन ग्रामों में संपर्कता प्रदान रेलवे हेतु मार्गों के निर्माण हेतु सूची प्रेषित की है जिसमें बीना विधानसभा के 18 मार्ग, जिनकी कुल लंबाई 20.05 कि.मी., खुई विधानसभा क्षेत्र के कुल 23 मार्ग जिनकी कुल लंबाई 63.2 कि.मी., सुरखी विधानसभा क्षेत्र के 23 मार्ग जिनकी कुल लंबाई 43.69 कि.मी. और नरयावली विधानसभा क्षेत्र की 9 मार्ग जिनकी कुल लंबाई 21.2 कि.मी. इस प्रकार इन चारों विधानसभा के कुल मार्गों की लंबाई 208.15 कि.मी. होगी जिहको अनुमानित लागत लगभग 9212.19 लाख है। जिनका निर्माण कराये जाने का

अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, बीना

न्यायालय तहसीलदार सचिव सागर, तहसील व जिला सागर रा.प्र.क्र. बी 121 वर्ष 2014-15 ग्राम-तिलीमाफी पट. ह.नं.-63 रा.वि.सं., सागर - 1

इस्तहार

सर्वसाधारण एवं ग्राम तिली माफी पटवारी इतका नं.-63 रा.वि.सं. सागर-1, तहसील व जिला सागर की आप जनता के जरि इस्तहार के सूचित किया जाता है कि अस्तहार नगर नियम सागर द्वारा राबीव आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु ग्राम तिली माफी सागर पह नंबर 63 की भूमि खसप नं. 55/1 क. में से रकबा 14.59 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने हेतु पत्र कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त नगर नियम सागर से प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा आवेदन पत्र पेशी दिनांक 6.6.2015 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं अथवा मान्य अधिकता के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हो। बाद म्याद किसी भी आपत्ति अथवा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। इस्तहार मो हस्ताक्षर एवं न्यायालय में मुदा एवं मुहर से दिनांक 21.05.15 को जारी किया गया। तहसीलदार सागर

खण्डन आम सूचना

सर्वसाधारण सहित आप श्रीमती कमलाबाई बेवा श्री बद्रीप्रसाद निवासी शिव वार्ड, बीना को सूचित किया जाता है कि आप श्रीमती कमलाबाई मेरी बुआ सास हैं। आपको मे ससुर श्री ज्वालाप्रसाद राज (वर्तमान में मृत) द्वारा अपनी सारी छोटी बहिन होने से अपने स्वत्व व आधिपत्य वाले शिववार्ड, बीना के अपने मकान के प्रथम तल पर अंतिम सांस तक रहने की अनुमति अपने विधिक वारसानों की जानकारी व सहमति से दी है। जिस पर आपका रहवास है। अभी ज्ञात हुआ है कि आप श्रीमती कमलाबाई द्वारा किसी समाचार पत्र में असत्य व धामक जानकारी किसी के माध्यम से प्रकाशन करवाया है। जिससे खंडन सूचना प्रकाशित कराई जाती है कि विधि विपरीत स्वज्वालाप्रसाद के विधिक वारसानों के अतिरिक्त अन्य के पक्ष में लिखा-पढ़ी न करें और न ही धामक प्रचार करें। जो उपरोक्त पर बंधनकारी नहीं होगा। अतः खंडन सूचना से अवगत हो। बीना, दिनांक: सूचनाकर्ता श्रीमती किरण राज पत्नी श्री मोहनराज नि. शिव वार्ड, स्टेशन रोड, बीना

कार्यालय न

Table with 2 columns: क्र. (Serial No.) and कार्य का नाम (Name of Work). It lists various construction and social welfare projects.

रहती दांग आरमपुर सौदा के बीच 20 मई को 8 बजे रात्रि कर पति बहिन से रामचवतार बन्द हुनात बुधों निवासी ग्राम पटना बुजुर्ग यंभीर रूप से भावत होकर इलाज हेतु जिला अस्पताल में भरती किया गया था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई पुलिस ने प्राणी लखनलाल बन्द काशीराम निवासी पटना बुजुर्ग की सूचना पर 279, 337, 304 आईपीसी के अंतर्गत अपराध कायम किया घटना की विवेचना दाना चौकी के प्रधान आरक्षक हरीसिंह कर रहे है।

इलाज के दौरान घायल की मौत

सागर, आचरण। थाना सुरखी पुलिस चौकी डाना के अंतर्गत रहली सागर आम रोड ग्राम बरीदा के पास एक अज्ञात आरोपी द्वारा लाल रंग की पल्सर मोटर साइकिल तेजगति तामरवाही से चलाते हुए फरियादी नीरज ठाकुर बन्द त्रिलोक चंद उम्र 29 साल सानीधा ग्राम निवासी को एक्सीडेंट 20 मई को कर दिया था। आरोपी एक्सीडेंट कर भाग गया था जिससे प्राणी को उसका नाम मालूम नहीं हो सका प्राणी एक्सीडेंट में घायल होकर जिला अस्पताल में इलाज करवाया। उपचार के परचात थाना सुरखी में अज्ञात बाइक सवार आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने प्राणी को रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी बाइक सवार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 279, 337 के तहत जुर्म कायम किया।

आरोपी से 14 पाव देशी शराब जप्त। थाना पदमाकर के अंतर्गत सेमराबाग मार्ग पर सबइस्पेक्टर टेकाम ने सुखबिर की सूचना पर आरोपी मुकेश बन्द रामसेवक पटेल से थैला में रखी ले जाते हुए 14 पाव अवैध देशी मदिरा जप्त की। आरोपी के विरुद्ध आवकारी एक्ट की धारा 34 के अंतर्गत जुर्म कायम किया।

पति, सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज

सागर, आचरण। थाना गोपालगंज के अंतर्गत वेयर हाउस के पीछे गोपालगंज निवासी एवं दमोह में ब्याही एक विवाहित महिला ने अपने पति सास एवं ससुर के विरुद्ध दहेज मांगने पर उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना से दी जानकारी में बताया कि फरियादिया कल्पना राजपूत उम्र 30 साल ने 24 मई को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि सन् 2013 में उसकी शादी ऋषि देव सिंह गौर विजय नगर कालोनी दमोह निवासी से हुई थी। उसका पति ऋषभदेव ससुर जनार्दन गौर एवं सास शारदा उसे मायके से स्कापियों कार मांगकर उसे प्रताड़ित कर रहे है। पुलिस ने फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 488, 34 एवं दहेज एक्ट की धारा 3-4 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया।